



MUNICIPAL CORPORATION, ROHTAK

Most Urgent

From

Commissioner
Municipal Corporation
Rohtak

To

The Dy. Director (Advertisement)
Public Relation Office,
Haryana, Chandigarh

No.MCR/CSI/2015/7451


Dated : 23/11/2015

Sub:

Publication of Public Notice

Please find enclosed herewith a copy of public notice for publication in newspapers as below:-

Sr. No.	Name of News Paper
1	Dainik & Dainik Tribune (Hindi)


For Commissioner
Municipal Corporation
Rohtak




नगर निगम रोहतक

नगर निगम, रोहतक

निविदा सूचना

नगर निगम, रोहतक के द्वारा बन्दरों को पकड़ने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/एजेन्सी/एन.जी.ओ./सोसाईटी दिनांक 30.11.2015 को प्रातः 11:00 बजे तक अपनी फर्म/एजेन्सी/एन.जी.ओ./सोसाईटी के सभी दस्तावेजों को आयुक्त, नगर निगम, रोहतक के नाम भेजने का कष्ट करे। इस कार्य से संबंधित अधिक जानकारी नगर निगम, रोहतक की वेबसाइट www.mcrohtak.gov.in अथवा कार्यालय नगर निगम, रोहतक में किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदा की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

1. निविदा लेने वाला प्रतिदिन पूरे नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में जाल लगाए तथा दिन में जितने भी बन्दर पकड़े जाएंगे उनकी देख-भाल सुनिश्चित करेगा।
2. पकड़े गए सभी बन्दरों की विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराएगा।
3. पकड़े गए बन्दरों के खाने-पीने की व्यवस्था व स्वास्थ्य की देख-भाल सुनिश्चित करेगा।
4. पकड़े गए बन्दरों की डॉक्टर से स्वास्थ्य का चैकअप कराएगा तथा इनको कलेशर के जंगलों में डोड़ने के लिए वाहन का भी प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
5. बन्दरों को जंगल में छोड़ने के लिए नगर निगम, रोहतक के कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी को साथ ले जाना होगा।
6. बन्दर पकड़ने की निविदता वाला दिनांक 30.11.2015 को प्रातः 11 बजे तक नगर निगम, रोहतक कार्यालय में श्री सुन्दर सिंह, सफाई निरीक्षक के पास अपने आवेदन जमा कराये और साथ ही पिछले समय में पकड़े गए बन्दरों व राशि का विवरण भी देना होगा। बन्दरों को पकड़कर कलेशर जंगल में छोड़ने, स्वास्थ्य की जांच करवाकर, बन्दर पकड़ने वाले जाल, बन्दरों को भेजने वाली गाड़ी, बन्दरों को पकड़ने के लिए आदमी की व्यवस्था तथा उनको सभी प्रकार के रहने-खाने व बीमे की व्यवस्था निविदता को करनी होगी।
7. निविदता लेने वाला फर्म को किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर स्वयं (फर्म) ही जिम्मेवार होगा।


28/11/15
आयुक्त,

कृते: नगर निगम, रोहतक।